तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/7966/2016/जयपुर रामस्वरूप बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ (मु0 जयपुर)</u>
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री गणेश कुमार, सदस्य

<u>उपस्थितः–</u>

श्री अशोक पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री हनुमान प्रसाद, अति. राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी
श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता, पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थी की ओर से

<u>आदेश</u>

<u>दिनांकः 13–10–2022</u>

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 12–04–2022 पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त मकान नम्बर 4189 गलता रोड हिदा की मोरी को अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16–7–2002 से इस मकान को लावारिश घोषित करते हुए राजकीय सम्पत्ति मान लिया। इस मकान में प्रार्थी के पिता काबिज थे और उनके बाद में प्रार्थी मय परिवार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थी पक्षकार था और जिलाधीश के यहां भी उज्रदारी पेश की थी। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय हरीनारायण के विरूद्ध अपीलार्थी ने सिविल जज न्यायालय क–ख जयपुर–4 के समक्ष एक वाद 96/1980 बउनवानी रामनिवास बनाम हरीनारायण पेश किया था लेकिन इस तथ्य के बावजूद भी प्रार्थी को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया। प्रार्थी को रेस्पोडेन्ट बनाया जावे जिससे कि वह अपना पक्ष रख सके और अपने हितों की रक्षा कर सकें। अपने कथनों के समर्थन में 2002 (2) टी.ए. सी. 613 (एससी) पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया कि वास्तव में यह विवाद अपीलार्थी और राज्य सरकार के बीच का है। प्रार्थी तो मात्र किरायेदार है और किरायेदार की हैसियत होने के कारण उसके कोई स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रार्थी वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. 1996 एआईआर (एससी) पेज 1513
2. 1997 डब्ल्यूएलएन पेज 85

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/7966/2016/जयपुर रामस्वरूप बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

3. 1992 एआईआर पेज 119

विद्वान राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी मात्र किरायेदार की हैसियत से है। न्यायालय जो उचित समझते आदेश पारित करें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–7–2002 के विरूद्ध अपीलार्थी रामस्वरूप ने यह अपील प्रस्तुत की है और उसने अपने आप को लडडू उर्फ रूपनारायण के गोद जाना और सीटी सर्वे में उक्त सम्पत्ति लडडू उर्फ रूपनारायण के नाम होना बताया है। प्रार्थी ने अपनी बहस में यह उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वह पक्षकार था और जानबुझकर अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 17–6–2002 में यह उल्लेख किया गया है–

वकुलाय फरीकेन हाजिर। श्री जगदीश जैमन जो इस प्रकरण में पक्षकार बनाये गये के वकील की बहस सुनी। रामस्वरूप के वकील ने आज बहस के लिए समय चाहा। .... पत्रावली दिनांक 8–7–2002 को पेश हो। और दिनांक 8–7–2002 को पुनः बहस सुनकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 16–7–2002 में नियत की गयी और दिनांक 16–7–2002 को उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया और वादग्रस्त सम्पत्ति को राजगामी घोषित किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के बारे में जगदीश नारायण जैमन ने रामस्वरूप व अन्य के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 27/2004 पेश की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील एडमीट की गयी और नोटिस जारी किये गये। अर्थात् वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रार्थी हितबद्ध रहा है। आदेश 41 नियम 20(1) सीपीसी में यह व्यवस्था दी गयी है –

20. **सुनवाई को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हिबद्ध प्रतीत होते है, प्रत्यर्थी बनाये जाने के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति –** (1) जहां सुनवाई में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो उस न्यायालय में वाद में पक्षकार था जिसकी डिक्री की अपील की गयी है किन्तु जो अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अपील के परिणाम में हितबद्ध है, वहां सुनवाई को न्यायालय अपने द्वारा नितय किये जाने वाले भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर सकेगा और यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति प्रत्यर्थी बनाया जाये।

अपीलार्थी अप्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1513 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि "Order 1, Rulr 10 CPC Would Apply to

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/7966/2016/जयपुर रामस्वरूप बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

implead a necessary or proper party to effectuate complete adjudication of all the disputes having arisen between all the necessary or proper parties who may be bound by the dicision." इसी प्रकार 1997(2) WLN पेज नंबर 85 में माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि वादी को उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति के विरूद्ध वाद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। "The plaintiff being dominus litus cannot be compelled to contest the suit against the litigants not to his own choice." इसी प्रकार न्याय दृष्टांत AIR 1992 Allahabad पेज नंबर 119 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही मत व्यक्त किया है और Stranger व्यक्ति को पार्टी पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

प्रार्थी की तरफ से न्यायिक दृष्टांत 2002(2) TAC 613(SC) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेनस बनाम राजेन्द्र सिंह व अन्य के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि कपट व न्याय दोनों साथ नहीं चल सकते। Maxims- "Frans et jus nunquam cohabitant"- Meaning of - Fraud and Justice never dwell together.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के परिपेक्ष में इस पत्रावली में उपरोक्त तथ्यों की विवेचना से यह प्रकट है कि अपीलार्थी अपने पिता के समय से वादग्रस्त सम्पति पर बतौर काबिज है और अधीनस्थ न्यायालय में भी उसे पक्षकार बनाया गया और अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील में पक्षकार बनाये जाने की स्थिति में वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। अपील के निर्णय से उसका हित प्रभावित होगा इसलिए इस प्रकरण में उपरोक्त पक्षकार है तथा उसे पक्षकार बनाया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी जगदीश नारायण जैमन को रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। अधिवक्ता अपीलार्थी संशोधित उनवान शीर्षक पेश करें।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7–11–2022 को मुकाम जयपुर पेश हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एसचीट/7966/2016/जयपुर रामस्वरूप बनाम सरकार	नम्बर व तारीख